

फर्द अहकाम

यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

नं :- 467/2022

बाबूलाल बनाम कैलाश

क्र आज्ञा गर्भवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वकील वादी को प्रतिवादीगण की तामील करवाने हेतु न्यायालय फीस/डाक महसूल समय पर नहीं दिया। अतः आदेश 9 नियम 2 के तहत दावा खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">31 उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	